न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 02/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोटेन्ट
हरनामसिंह मीणा, पूर्व पटवारी पटवार मण्डल, कारोला तहसील सांचोर, हाल– भू0अ0निरीक्षक, गोविन्दगढ तहसील– गोविन्दगढ जिला–अलवर।		जिला कलेक्टर (भू0अ0) जैसलमेर

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर (भू.0.अ0) जैसलमेर के कमांक प. 7(16) (10)/भू0अ0/वि0जॉ/2000/2954 दिनांक 22.06.2002 जिसके द्वारा सीसीए 17 के तहत अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित किया।

उपस्थितिः——

1. **अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।**
2. **विभागीय पैरोकार तहसीलदार, जैसलमेर उपस्थित।**

निर्णय

दिनांकः 17 मार्च,2025

1. अपीलान्ट ने यह अपील जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 17 के तहत उनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर अपीलान्ट ने राज0 असैनिक सेवाये (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958, के नियम 23 के तहत दिनांक 27.03.2023 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर जैसलमेर से अपील पर टिप्पणी एवं उनका मूल अभिलेख तलब किया गया।

3. तत्पश्चात उपस्थित अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार को सुना गया। अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलान्ट के पटवार मण्डल कारोला तहसील सांचोर में पदस्थापन रहने के दौरान श्रीमान जिला कलेक्टर, जालोर ने ज्ञापन क्रमांक 1345 दिनांक 08.3.2001 के द्वारा अपीलान्ट को निम्न आरोप से आरोपित किया:—

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आरोप संख्या एक–

यह है कि आप दिनांक 30.8.1997 से 22.5.2000 तक पटवार मण्डल कारोला तहसील सांचोर में पटवारी के पद पर कार्यरत रहते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत कारोला में जो कि आपका पटवार मुख्यालय था एवं इसके आयोजन की सूचना आपको तहसीलदार, सांचोर द्वारा किये जाने के उपरान्त भी आप उक्त शिविर में उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण राजस्व कार्यो एवं समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका। इस प्रकार आपका कृत्य स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने, राजकीय कार्यो में लापरवाही बरतने के साथ–साथ उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है जो दण्डनीय है।

4. अपीलान्ट ने यह कथन किया कि उक्त आरोप पत्र मुझ अपीलान्ट को दिनांक 27.03.2001 को प्राप्त हुआ तथा अपीलान्ट के द्वारा उक्त ज्ञापन/नोटिस का प्रत्युतर दिनांक 12.04.2001 को प्रस्तुत किया जाकर आरोपित आरोपों को अस्वीकार करते हुए संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त करने एवं आरोप मुक्त करने का निवेदन किया था परन्तु जिला कलेक्टर महोदय जैसलमेर के द्वारा आरोपित आरोप की प्रमाणित होना मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2002 के द्वारा अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा यह विभागीय अपील श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा आरोपित आरोप तथ्यों के विपरित होने से अस्वीकार करते हुए अपने प्रस्तुत प्रत्युतर में अवगत कराया गया था कि दिनांक 22.5.2000 को ग्राम पंचायत, कारोला जो मेरा पटवार मुख्यालय भी है, पर आयोजित समस्या समाधान शिविर में तहसीलदार, सांचोर द्वारा सूचना देने के उपरान्त उपस्थित नहीं हुआ जिसके कारण राजस्व कार्यो व जन समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका, गलत है। वास्तविकता यह है कि कथित शिविर दिनांक 22.5.2000 को कोई पूर्व सूचना मुझे तहसीलदार, सांचोर से प्राप्त नहीं हुई। उक्त शिविर बाबत सूचना सरपंच, वार्डपंच एवं ग्रामीण जनता को भी किसी भी माध्यम से नहीं की गई थी जैसा कि सरपंच ग्राम पंचायत, कारोला द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र से स्पष्ट है। (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गई) यदि उक्त तिथी को कोई शिविर आयोजित होना था तो उसकी पूर्व सूचना ग्राम पंचायत को जरूर दी जाती। उनके बिना शिविर के आयोजन का कोई औचित्य ही नही

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

ठहरता। उक्त कथित शिविर की सूचना पत्र आदि किसी भी माध्यम से किसी भी एजेन्सी को नहीं दी गई थी। इस प्रकार उक्त तिथी को कोई शिविर पंचायत मुख्यालय कारोला में न तो आयोजित हुआ और न ही आयोजित होने का पूर्व में कोई कार्यक्रम ही निर्धारित था। ग्राम पंचायत के बैठक विवरणरजिस्टर में ऐसे शिविर की बैठक का कोई अंकन नहीं है। बैठक में पटवारी की अनुपस्थिति मात्र से ही शिविर की कार्यवाही बाधित नहीं होती है बल्कि अन्य कार्यवाही जरूर सम्पादित की जाती और उसका अंकन बैठक रजिस्टर में किया जाता है लेकिन उक्त ऐसी कोई बैठक का विवरण अंकित नहीं है। दिनांक 22.5.2000 को पूरे दिन अपीलान्ट अपने पटवार मुख्यालय कारोला पर ही था और उस दिन कोई भी उच्चाधिकारी पंचायत मुख्यालय पर नहीं आये थे। यदि कोई अधिकारी इस प्रयोजन से आता तो शिविर की कार्यवाही पटवारी की अनुपस्थिति के कारण सम्पादित नहीं होती अलबत्ता राजस्व कार्यो के अलावा अन्य समस्याओं के समाधान हेतु बैठक में कार्यवाही जरूर की जाती, जो नहीं की गई और अनुपस्थिति बाबत मौका रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित ग्रामीणों/ सरपंच इत्यादि से हस्ताक्षर जरूर लेता जबकि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। दिनांक 22.5.2000 को समस्या समाधान शिविर नहीं होने की बात बिल्कुल मिथ्या एवं मनगढत एवं आधारहीन है जो कि किसी भी स्थिति में युक्तियुक्त नहीं ठहरता है। अतः आरोप निराधार होने से निरस्त किया जावे एवं प्रकरण को समाप्त किये जाने की कृपा करावें। श्रीमान जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा अपीलान्ट के उक्त प्रत्युतर को स्वीकार नहीं कर आरोपित आरोप के अनुसार उसे दोषी मानते हुए दिनांक 22.06.2002 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया जो कि निरस्त किया जावें।

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर महोदय को अपीलान्ट के प्रत्युतर पेश किये जाने पर उसमें अंकित तथ्यों की जॉच करवाते, जो नहीं करवाई गई और न ही कर्मचारी के प्रत्युतर पर कोई गौर किया गया। अपीलान्ट के प्रकरण में ना तो किसी के बयान लिये गये और न ही कोई दस्तावेज पेश करवाये गये। अपीलार्थी को आरोप पत्र देने की तिथी से ही इस प्रकरण में सीसीए नियम 1958 के नियम 17 में निर्धारित जॉच प्रक्रिया का अनुसरण नहीं हुआ है। जिला कलेक्टर, जालोर ने उपरोक्तजॉच कार्यवाही में अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया और इकतरफा जॉच रिपोर्ट जिला कलेक्टर महोदय जैसलमेर को प्रेषित कर दी। जिला कलेक्टर जालोर द्वारा सीसीए

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

नियमों/प्रक्रियाओं का अनुसरण नहीं किया गया। इसके अलावा जिला कलेक्टर, जालोर के द्वारा इकतरफा जॉच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा भी तुलनात्मक परीक्षण नहीं किया गया और न ही गहनता से गौर किया गया तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जो सहज न्याय के प्रतिकूल होकर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से निरस्त योग्य है।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिन अभिलेखों पर आरोप पत्र बनाया गया, उनकी प्रतियॉ भी अपीलान्ट को उपलब्ध नहीं करवाई गई, मात्र तहसीलदार, सांचोर के द्वारा प्रेषित कार्यवाही को ही आधार मानकर आरोप पत्र तय कर दिये गये। ऐसे में साक्ष्य सबूतों के अभाव में की गई कार्यवाही विधि के अनुसार उचित नहीं मानी जा सकती है। इसके अलावा अपीलान्ट स्वयं की बिमारी के साथ परिवार के निकट सदस्य की बीमारी, प्राकृतिक प्रकोप से रास्ता बन्द होने इत्यादि के साथ राजकार्यो की व्यस्तताओं के कारण अपील पेश करने हेतु निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। परिसीमा के बिन्दू पर अपील निरस्त होना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील का निर्णय होना माना गया है अतः अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करने बाबत सविनय निवेदन एवं अपीलार्थी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए विलम्ब को क्षम्य करने की कृपा करें।

8. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट पर गठित आरोप सामान्य प्रकृति का हो कर भ्रष्टाचार एवं राजकीय राशि के गबन एवं रिकार्ड में हेराफेरी सम्बन्धी गम्भीर आरोप भी नहीं है तथा ऐसा कृत्य भी नहीं है जिससे किसी व्यक्ति विशेष से मिलीभगत कर लाभ हानि पहुंचाई गई हों। अन्त में श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी ने अब तक राजकीय कर्य पूर्ण निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी से सम्पादित किया है एवं प्रार्थी के द्वारा कभी कोई लापरवाही नहीं बरती गई है तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की पालना हमेशा ही की है। अपीलार्थी एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है। अपीलार्थी के विरूद्ध गठित आरोप अपीलान्ट को दण्डित करने के उद्देश्य से रचित कर दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने एवं तत्कालीन समय में निलम्बन करवा कर जिला बदर किया गया है, जो सैद्धान्तिक रूप से न्यायोचित नहीं होकर विलम्ब को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में क्षमा कर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

9. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट को निलम्बित करने की शक्तियां तहसीलदार सांचोर को थी ही नहीं। तहसीलदार के द्वारा अपीलान्ट से दुर्भावना तथा दूषित

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

मनोवृति रखते हुए बेबुनियाद आरोप लगाये गये है। जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा भी तहसीलदार सांचोर के द्वारा किये गये निलम्बन आदेश को अनुमोदित कर दिया गया। सीसीए नियम 17 की प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये नियमानुसार कार्मिक को निलम्बित किया जाना आवश्यक ही नहीं था। अपीलान्ट के विरूद्ध तहसीलदार सांचोर के द्वारा जो कार्यवाही प्रारम्भ से अन्त तक सम्पादित की गई है, उससे ऐसा लगता है कि तहसीलदार अपीलान्ट से व्यक्तिगत द्वेषता एवं ईर्ष्या रखते हुए की गई है। धारा 17 सीसीए की कार्यवाही के दौरान भी कार्मिक को निलम्बित नहीं किया जा सकता था। निलम्बन केवल गम्भीर प्रकृति के विषय का आरोप आरोपित होने अथवा गबन/भ्रष्टाचार/लम्बे समय से अनुपस्थिती के दौरान ही किया जा सकता है। तहसीलदार सांचोर के द्वारा आरोप तय करवाने से पूर्व ऐसा कोई साक्ष्य/ दस्तावेज जिला कलेक्टर, जालोर को पेश नहीं किये गये थे, जिससे यह लगता हो कि दिनांक 22.5.2000 को समस्या समाधान शिविर मुख्यालय कारोला पर आयोजित हुआ हो जिसमें अन्य राजकीय विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण ने भाग लिया और राजस्व विभाग के अतिरिक्त विभागीय कार्यो/ग्रामीणों की विषयान्तर्गत समस्याओं का शिविर में समाधान किया गया था या किसी प्रकार की शिविर कार्यवाही का विवरण तैयार किया गया हो जिससे यह प्रकट होता हो कि शिविर का आयोजन हुआ ही हो और उसमें अपीलान्ट अनुपस्थित रहा हो। तहसीलदार, सांचोर द्वारा मौखिक रूप से अपीलान्ट की अनुपस्थिती दर्शाते हुए निलम्बन कर दिया गया और आरोप पत्र विरचित कर दिये गये। तहसीलदार, सांचोर को निलम्बन करने का कोई अधिकार ही नहीं था।

10. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर जालोर के पत्रांक 3298 दिनांक 13.6.2001 के अनुसार राजस्व अभियान दिनांक 1.5.2000 से नियमित चल रहा था तो ऐसी स्थिति में अपीलान्ट/प्रार्थी पटवार मुख्यालय छोडने का दुःसाहस कैसे किया जा सकता था और तहसीलदार/भू0अ0निरीक्षक द्वारा दिनांक 21.5.2000 को कैम्प/समस्या समाधान शिविर की ही मौखिक जानकारी दिनांक 21.5.2000 की शाम को दिये जाने की अलग से क्या आवश्यकता उत्पन्न हो गई थी। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जारी दण्डाज्ञा में अनुशासनिक अधिकारी के स्तर पर गंभीर प्रकियात्मक त्रुटि रही है।

11. प्रत्युतर में दौराने बहस उपस्थित रहे विभागीय पैरोकार श्री पारसलमल, तहसीलदार जैसलमेर ने जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा प्रेषित टिप्पणी को ही अपनी बहस माने जाने

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

का निवेदन किया तथा जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित दण्ड को यथावत बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

12. विभागीय पैरोकार ने जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा प्रेषित टिप्पणी के अनुसार यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर को आरोप पत्र का जो प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया था, उसमें आरोपित आरोप को अस्वीकार करना बताया है। उक्त आरोप के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर महोदय जैसलमेर के द्वारा अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए व्यक्तिगत रूप से सुना गया। अपीलान्ट कार्मिक के द्वारा प्रस्तुत प्रत्युतर को संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित आरोप प्रमाणित होना मानते हुए अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का जो दण्डादेश पारित किया है, वो उचित है जिसे यथावत रखा जावें।

13. विभागीय पैरोकार ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट कार्मिक के दिनांक 22.5.2000 को स्वेच्छा से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर तहसीलदार, सांचोर द्वारा आदेश क्रमांक 1317 दिनांक 22.5.2000 को निलम्बित किया गया था जिसका अनुमोदन जिला कलेक्टर जालोर ने आदेश दिनांक 29.5.2000 द्वारा किया गया था। अपीलान्ट कार्मिक का स्थानान्तरण जिला जालोर से जिला जैसलमेर में हो जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की पत्रावली जिला कलेक्टर, जैसलमेर कार्यालय को प्राप्त हुई। तत्पश्चात अपीलान्ट कार्मिक द्वारा आरोपित आरोप पत्र का जबाब दिनांक 10.4.2021 को प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट के उक्त जवाब का परीक्षण कर टिप्पणी भिजवाने हेतु जिला कलेक्टर, जालोर को लिखे जाने पर जिला कलेक्टर जालोर द्वारा दिनांक 13.6.2021 द्वारा टिप्पणी प्रेषित की गई जिसमें राजस्व अभियान दिनांक 1.5.2000 से शुरू होने एवं दिनांक 22.5.2000 को ग्राम पंचायत मुख्यालय कारोला पर शिविर आयोजन होने तथा उसकी सूचना दिनांक 21.5.2000 को तहसीलदार सांचोर द्वारा अपीलान्ट को दिये जाने के उपरान्त भी अपीलान्ट को दिनांक 22.5.2000 को मुख्यालय पर उपस्थित नहीं होना बताया।

14. तत्पश्चात जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा अपीलान्ट कार्मिक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपीलान्ट कार्मिक ने समस्या समाधान शिविर की पूर्व सूचना उन्हें नहीं होना बताया। अपीलान्ट के उक्त जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त जिला कलेक्टर, जैसलमेर ने अपीलान्ट को उनकी दो वार्षिक

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है जो उचित होने से यथावत रखे जाने योग्य है एवं अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

15. हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार के द्वारा दौराने बहस प्रकट किये गये तथ्यों पर गहनता से चिंतन मनन किया तथा अपील एवं अपील पर जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा प्रेषित टिप्पणी एवं उनकी कार्यालय पत्रावली की छायाप्रतियों का भी बगौर अवलोकन किया, जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट पर यह आरोप आरोपित किया गया था कि

> ''दिनांक 30.8.1997 से 22.5.2000 तक पटवार मण्डल कारोला तहसील सांचोर में पटवारी के पद पर कार्यरत रहते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत कारोला में जो कि आपका पटवार मुख्यालय था एवं इसके आयोजन की सूचना आपको तहसीलदार, सांचोर द्वारा किये जाने के उपरान्त भी आप उक्त शिविर में उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण राजस्व कार्यो एवं समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका। इस प्रकार आपका कृत्य स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने, राजकीय कार्यो में लापरवाही बरतने के साथ–साथ उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है जो दण्डनीय है।''

16. जिला कलेक्टर, जैसलमेर की ओर से प्रेषित पत्रावली के दस्तावेजों के अवलोकन से यह कहीं प्रकट नहीं होता है कि अपीलान्ट पटवारी को तत्समय में पटवार मुख्यालय कारोला में समस्या समाधान शिविर की समय सारणी अथवा टाईम टेबल की जानकारी तहसील कार्यालय के द्वारा उन्हें उपलब्ध करवाई गई हो और उन्हें पूर्व में लिखित में नोटेड करवाया गया हो अथवा जिला कार्यालय से ऐसा कोई कार्यक्रम पूर्व में तय किया गया हो, जिसकी अन्य पटवार मण्डल मुख्यालय पर आयोजित होने वाले समस्या समाधान शिविर की सूचना अंकित हो रखी हो। साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा इस बाबत जारी पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि उस दिवस को किसी शिविर का आयोजन नहीं हुआ था। इससे यह भी प्रकट होता है कि यदि शिविर का आयोजन हुआ होता तो अवश्य ही अन्य विभाग/संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारी उक्त शिविर में सम्मिलित रहते और बैठक कार्यवाही रजिस्टर में विवरण दर्ज होकर कार्यवाही विवरण जारी होता। तत्कालीन तहसीलदार स्वयं के द्वारा शिविर की जानकारी अपीलान्ट को एक दिन पूर्व में यदि दी जाती तो अपीलान्ट उनके निर्देशों की अवहेलना किस प्रकार से कर सकता था। इसके अलावा तहसीलदार सांचोर के द्वारा जिला कलेक्टर, जालोर को ऐसे कोई शिविर आयोजन सम्बन्धी दस्तावेज अथवा उक्त दिनांक की ग्राम पंचायत स्तर पर हुई बैठक का कार्यवाही विवरण इत्यादि प्रेषित नहीं किये गये है जिनमें अन्य अधिकारीगण/ विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

के हस्ताक्षर किये हुए हो। इससे यही प्रतीत होता है कि अपीलान्ट के विरूद्ध तत्कालीन तहसीलदार, सांचोर के द्वारा आनन–फानन में अपीलान्ट के विरूद्ध बिना कोई ठोस कारणों के ही अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की पूर्व में मंशा धारित रखते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई एवं स्वयं के स्तर पर निलम्बित कर दिया गया, जबकि अपीलान्ट का उपरोक्त कृत्य किसी प्रकार से गम्भीर प्रकृति का नहीं रहा है जिससे कि उन्हें उसी दिन निलम्बित किया जाये और विभागीय अनुशासत्मक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय को अनुशंसा प्रेषित की जाये। किसी कार्मिक को निलम्बन में उसी अवस्था में रखा जा सकता है जब उसके विरूद्ध गबन अथवा राजस्व रेकर्ड में हेराफेरी, राजकार्य के प्रति लापरवाही बरती जाने सम्बन्धी इत्यादि गम्भीर प्रकृति के कृत्य कारित किये गये हो।

17. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा यह अपील विलम्ब से पेश की गई है, के सम्बन्ध में अपीलान्ट के द्वारा अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने बाबत अपील में दर्शाये गये तथ्यों के आधार पर तथा प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को मध्यनजर रखते हुए अपीलान्ट कार्मिक के प्रति सहानुभूति रखते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार माना जाता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर गहनता से मनन चिन्तन करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने पाई जाती है।

18. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर, जैलसमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2002 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17 मार्च, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर